NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर–दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण ।

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग बागेश्वर–दोफाड–धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 71 से प्रारम्भ होता है जो छिपछिया एवं लमझिगडा ग्राम को जोड़ता है जिनकी कुल आबादी 426 है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। वर्तमान में गॉव की महिलायें पानी, लकड़ी, चारा आदि लेने के लिए दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर और बच्चों को अधिक समय दे पांएगी, जिससे कि बच्चों का लालन पालन तथा पठन–पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी भारी समस्या दूरी हो पाएगी। गॉव में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के लिए नए अवसर मिलेंगे। ग्रामवासी अपने उत्पादित फल सब्जी, अनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई से ले जा पाएगें साथ ही गॉव विकास की ओर अग्रसर होगा एवं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।

यह संरेखण सिविल सोयम, वन पंचायत एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है। अन्य किसी श्रेणी की भूमि प्रभावित नहीं होती है। संरेखण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तान का भाग नहीं आता है।

उक्त मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 तथा मार्ग की चौड़ाई 7.00 मी0 ली गई है। मार्ग के निर्माण में 1.40 हेक्टेयर सिविल भूमि एवं 0.700 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि तथा 0.700 हैक्टयर नापभूमि प्रभावित होती है। उक्त प्रयोजनार्थ इस भूमि हेतु न्यूनतम संरेखणों पर विचार किया गया है।

समरेखन नं0–1 इस मार्ग का संरेखन मार्ग बागेश्वर–दोफाड –धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 71 से प्रारम्भ होता है मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 है तथा निर्माण की लागत कम है मार्ग में 6 हियर पिन बैण्ड पड़ते हैं। तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही मिलता है। लम्बाई कम है तथा इस संरेखन के अनुसार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत हैं। वृक्षों की संख्या कम है।

समरेखन नं0–2 इस समरेखन के अनुसार इस मोटर मार्ग का समरेखन स्थल बागेश्वर–दोफाड –धरमघर–कोटमन्या मोटर मार्ग के किमी0 71 से प्रारम्भ होता है। मार्ग की लम्बाई 4.15 किमी0 आती है। मार्ग की लम्बाई अधिक होने के कारण निर्माण की लागत अधिक आती है। इस समरेखन में अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। मार्ग में 7 हियरपिन बैण्ड आते हैं तकनीकी दृष्टि से ग्रेड सही नहीं मिलता तथा समरेखन के अनुसार मोटर मार्ग निर्माण में ग्रामवासीयों की वन पंचायत की इमारती लकड़ी का अधिक नुकसान हो रहा है। जिससे ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि सहमत नहीं हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं–1 को अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण में 1.40 हेक्टेयर सिविल भूमि एवं 0.700 हेक्टेयर वन पंचायत भूमि तथा 0.700 हैक्टयर नापभूमि प्रभावित होती है जो न्यूनतम है। मोटर मार्ग की लम्बाई 4.00 किमी0 व चौडाई 7 मी0 में ली गयी है एवं मोटर मार्ग का निर्माण करने से पूर्व यह प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अतः प्रभावित वनभूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव स्वीकृत करने की कृपा करें ।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिषासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट	कपकोट	कपकोट